न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 55/2015

1. गुरईकबाल सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर

—प्रार्थी

बनाम

1. सुखजीत कौर पुत्री अमरजीत सिह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी तह. रायसिंहनगर
2. तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर राजस्थान सरकार
3. गुरदीदार सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह जटसिख निवासी 69 आर.बी. रायसिंहनगर

—अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः—

1. श्री सतपाल बिश्नोई वकील प्रार्थी
2. श्री धर्मवीर सिंह वकील अप्रार्थी सं. 3

—: निर्णय :— दिनांकः—20.08.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी गुरईकबाल सिंह पुत्र सुदर्शन सिह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 69 आर.बी. मु.नं. 11 के कि.नं. 1 ता 25 नहरी भूमि में अवागमन हेतु इसी चक के मु.नं. 9 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में .013है. कुल .065है रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के नोटिस की तामील जरिए सार्वजनिक स्थान पर चस्पांदगी करवाये जाने के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 हाजिर नहीं आए। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। गुरदीदार सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करन निवेदन किया कि प्रार्थी के भाई प्रार्थी गुरईकबाल सिंह द्वारा अपने रकबा में आने जाने के लिए मु.नं. 9 के कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता की मांग की हैं। तथा आगे मु. के कि.नं. 21 में प्रार्थी ने रास्ता गुरईकबाल सिंह को दिया हुआ हैं। यदि उक्त कि.नं. 21 में रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो प्रार्थी को कोई एतराज नहीं हैं। इस पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी ने गुरदीदार सिह को पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया। इस पर गुरदीदार सिंह पुत्र सुदर्शन सिह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी को अप्रार्थी सं. 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। वकील उभय पक्ष ने बहस हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु मु.नं. 9 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में .013है एवं मु.नं 10 के कि.नं. 21 के कोना में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले अप्रार्थीगण को अपनी भूमि में से उतनी ही भूमि मुआवजा के तौर पर देने हेतु तैयार हैं। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि अप्रार्थी सं. 3 की भूमि मु.नं. 10 के कि.नं. 21 में रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं हैं। तथा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक रायसिंहनगर के अनुसार प्रार्थी के मु.नं. 11 को कहीं से कोई रास्ता स्वीकृत या चालू नहीं लगता हैं। प्रार्थी की भूमि को रास्ता हेतु मु.नं. 9 के कि.नं. 21 ता 25 में ही सबसे नजदीक रास्ता लगता हैं। अतः कि.नं. 21 ता 25 में प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित हैं। अप्रार्थीया सुखजीत कौर पुत्री अमरजीत सिंह वर्तमान में विदेश में रह रही हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज एवं अप्रार्थीया सं. 1 के नोटिस तामील का अवलोकन किया मुताबिक रिपोर्ट भू.अ.नि. अप्रार्थीया विदेश में रह रही हैं। परन्तु अप्रार्थीया के स्थाई निवास का सही ज्ञान नहीं होने के कारण अप्रार्थीया के नोटिस की तामील जरिए सार्वजनिक स्थान पर चस्पांदगी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

उक्त विवेचन एंव तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 9 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.013है. एवं मु.नं 10 के कि.नं. 21 के कोना में 0.001है. गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार राजस्व नियमानुसार स्वीकृतशुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले अप्रार्थीगण को उतनी ही भूमि मुआवजे के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर प्रार्थी की (अप्रार्थीगण की चिपती) खातेदारी भूमि में रास्ते में आई भूमि जितना रकबा कम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करें। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner